

प्रलेप 26

(नियम 4क देखिए)

निर्वाचन क्षेत्र से

62 विधान सभा  
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए  
रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने, वाला शपथ पत्र।

मैं ज्ञानन्द सेंट

पुत्र/पुत्री/फली श्री लाल सिंह

आयु ५५ वर्ष

जो जन प्रतराज्यपुर नाम संसद का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ  
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों)का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):

- (I) मागला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....
- (II) पुलिस थाना (थाने)..... जिला (जिले)..... राज्य.....
- (III) साब्दित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है.....
- (IV) न्यायालय,जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की कई.....
- (V) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया थे.....
- (VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं.....

2. मुझे किसी अपराध(अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (I) मागला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....
- (II) न्यायालय,जिसने दंडित किया है.....
- (III) पुलिस थाना (थाने)..... जिला (जिले)..... राज्य.....
- (IV) साब्दित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.....
- (V) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे.....
- (VI) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं.....

स्थान:- जास्टिस

तारीख:- 10/11/2012

ज्ञानन्द सिंह

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

गैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग गिराया नहीं है और कोई तात्परिक बात छिपाई नहीं गई है।.....  
ज्ञानन्द सिंह स्थान पर आज तारीख 10/11/2012 को सत्यापित किया।

टिप्पणी : इस प्रलेप के स्तम्भ जो अभिसाक्षी को लाग नहीं है, काट दिए जायें।

ज्ञानन्द सिंह

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

आरक्षीय और न्यायिक

भारत

TEN  
RUPEES

Rs.

10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND शाप्त पत्र

14AA 449945

लोकमुद द्वारा 5/10 अगस्त १९८६ में जिवाली द्वारा

प्रकाशित प्रकाश २६ (शाप्त पत्र) के लागत

21 अगस्त १९८६